न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 93/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/318
दायर दिनांक :– 14.06.2024 निर्णय दिनांक :– 26.03.2025

1. आयुष्मान विश्नोई पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी सूरसागर जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
2. पुष्पा विश्नोई पत्नी राजेन्द्र कुमार निवासी सूरसागर जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर

–प्रार्थी

बनाम

1. भंवरूराम पुत्र मालाराम जाति विश्नोई निवासी लोहावट तहसील लोहावट जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। वादीगण मृतक खातेदार राजेन्द्रकुमार विश्नोई के वारिसान है तथा मृतक खातेदार राजेन्द्र कुमार की पैतृक भूमि राजस्व ग्राम लुक्कुपुरा उर्फ असरफनगर के खसरा नम्बर 343/298 रकबा 12.8690 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जो भूमि प्रार्थी संख्या 1 के दादा व प्रार्थी संख्या 2 के पिता मालाराम के कब्जा काश्त में थी। विवादित भूमि खसरा नम्बर 343/298 रकबा 12.8690 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण को विवादित भूमि में जन्म से से ही खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त सेटलमेंट सेटलमेंट अधिकारियों से मिलावट कर उक्त सम्पूर्ण भूमि अपने अकेले के नाम से सरासर गलत रूप से दर्ज करवा दी। प्रार्थीगण का पैतृक हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की और से अधिवक्ता करणीसिंह राठौड़ ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया

26/3/25

गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान की भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में जवाब, साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त ही किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/3/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)